

परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2016-17

1. महाविद्यालय का नाम :-
2. पूरा पता :- प्लॉट नं. मार्ग/नगर/सड़क का नाम :-
 तहसील:- जिला:- पिन कोड:-
3. महाविद्यालय के टेलिफोन नं. (कोड सहित) मोबाईल नं.
 ई.मेल.आई.डी.
4. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम, पता एवं टेलिफोन नं. :-
5. महाविद्यालय की स्थापना वर्ष व दिनांक :-
6. रजिस्टर्ड सोसाईटी का नाम जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है :-
7. उक्त सोसाईटी के तहत संचालित महाविद्यालयों के नाम व पते :-

8. महाविद्यालय का संबद्धता विवरण दिनांक संकाय विषय
9. महाविद्यालय में गत वर्षों में छात्रों का संकायवार विवरण:-

सत्र	कला	वाणिज्य	विज्ञान	अन्य	कुल विद्यार्थियों की संख्या
2012-13					
2013-14					
2014-15					
2015-16					
2016-17					

10. प्राचार्य का नाम, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति तिथि व मोबाईल नं. :-

11. उप प्राचार्य का नाम, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति तिथि व मोबाईल नं. :-

12. प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं शिक्षकों के नाम, योग्यता, अनुभव चयन का वर्ष, स्थायी /अस्थायी (केवल उन्हीं शिक्षकों का विवरण दें जो पूरी परीक्षा अवधि में परीक्षा कार्य से जुड़े रहेंगे :- (10 रु. के स्टाम्प पेपर पर)

क्र.सं.	नाम	योग्यता	अनुभव	चयन का वर्ष	स्थायी/अस्थायी	विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की तिथि

(नोट :- अलग से विवरण संलग्न करें)

13. अशैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या, नाम योग्यता, चयन का वर्ष, स्थायी/अस्थायी (विवरण संलग्न करें)
14. सहायक कर्मचारियों की संख्या, नाम, योग्यता, चयन का वर्ष, स्थायी/ अस्थायी (विवरण संलग्न करें)
15. महाविद्यालय भवन स्वयं (संस्था) का है या किराये का (विवरण दें):- स्वयं का/ किराये का
16. महाविद्यालय भवन कक्षों का विस्तृत विवरण :-

क्र.सं.	कमरा क्रमांक	साईज (वर्ग फुट में)	कक्ष में ट्यूबलाईट/बल्बों की संख्या	कक्ष में पखों की संख्या	परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा)

17. स्ट्रॉग रूम मय साइज (फोटो संलग्न करें):-
18. परीक्षा कार्य हेतु अलमारियों की संख्या (मय साइज):- डबल लॉक – सिंगल लॉक-
19. परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध फर्नीचर संख्या :- टेबल – कुर्सी –
20. पानी की व्यवस्था :- सार्वजनिक आपूर्ति/ बोरिंग/ निजी स्रोत से
21. शौचालय की संख्या :-
- (I) छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक बताएं :-
- (II) स्टाफ के लिए :-
- (III) सफाई कर्मचारियों की संख्या :-
22. क्या मुख्य पोर्च में चालू हालत में घड़ी है ? हाँ / नहीं
23. क्या आपने मुख्य सड़क से प्रत्येक मोड़ पर अपने महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए संकेतक बोर्ड लगाए हैं ? जिससे महाविद्यालय तक पहुंचने में असुविधा न हो :-
24. आपके महाविद्यालय के निकटतम स्थित पांच महाविद्यालयों के संबंध में निम्न जानकारी दें:-

महाविद्यालय का नाम	पता	महाविद्यालय कोड नम्बर	आपके महाविद्यालय से दूरी	छात्र संख्या

25. बैंक ड्राफ्ट का विवरण :

ड्राफ्ट नं.	बैंक का नाम	राशि एवं दिनांक

आवेदन की दिनांक:-

आवेदक (प्राचार्य) के हस्ताक्षर

नोट- यदि पूरी सूचना देने के लिए प्रपत्र में स्थान पर्याप्त नहीं हो, तो पृथक से पृष्ठ लगाकर उसे प्राचार्य के हस्ताक्षर मय सील से प्रमाणित करें।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)

☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के नियम व शर्तें

1. नये परीक्षा केन्द्र हेतु आवेदन शुल्क 30,000/-रु. होगा तथा गत वर्ष में स्थापित परीक्षा केन्द्र को पुनः जारी रखने के लिए 15,000/- रु. होगा। (इस हेतु प्रमाण- पत्र संलग्न करें) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में नये परीक्षा केन्द्र के लिए आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क रु. 30,000/- ही देय होगा। यह राशि Non - Refundable है।
2. महाविद्यालय में नियमित छात्र / छात्राओं की न्यूनतम संख्या 200 तथा एक पारी में कम से कम 400 छात्र/ छात्राओं की परीक्षा कराने की क्षमता होनी चाहिए।
3. महाविद्यालय को जून 2016 में कम से कम तीन अकादमिक सत्र पूरे होने चाहिए।
4. महाविद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर एवं स्वयं का भवन होना चाहिए।
5. प्राचार्य एवं व्याख्याता U.G.C. Norms के अनुसार चयनित एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।
6. केवल प्राचार्य ही परीक्षा सामग्री रखने तथा उपयोग करने हेतु अधिकृत होंगे।
7. स्ट्रांग रूम, अलमारी तथा बक्से डबल लॉक वाले होने चाहिए।
8. परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने का रास्ता सुगम होना चाहिए। प्रत्येक मोड़ पर महाविद्यालय तक पहुंचने का संकेतक बोर्ड होना चाहिए।
9. महाविद्यालय की चार-दिवारी कम से कम 6 फीट ऊंची होनी चाहिए।
10. महाविद्यालय परीक्षाओं की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से बन्द व एकल प्रवेश व्यवस्था होनी चाहिए।
11. बिजली, पानी एवं शौचालय (छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक) की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. महाविद्यालय/केन्द्राधीक्षक के पास 24 घण्टे मोबाइल तथा टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए।
13. अशैक्षणिक कर्मचारी भी नियमित व चयनित होने चाहिए।
14. परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से अन्तिम तिथि तक के दौरान चौकीदारी 24 घण्टे उपलब्ध होनी चाहिए।
15. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रति विद्यार्थी स्थान उपलब्ध होना चाहिए।
16. आन्तरिक उडनदस्ता विश्वविद्यालय नियमानुसार होना चाहिए।
17. परीक्षा केन्द्र पहले एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से बनाया जाएगा तथा परीक्षा केन्द्र, सभी व्यवस्थायें संतोषप्रद होने पर ही अगले दूसरे वर्ष जारी रखा जा सकता है।
18. परीक्षाएं विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रपत्र 24 E के अनुसार सम्पन्न होनी चाहिए।
19. स्थायी परीक्षा केन्द्रों का भी पांच वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जा सकता है।
20. किसी भी महाविद्यालय के नियमित छात्रों के परीक्षा केन्द्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का है।

परीक्षा नियंत्रक